उत्तर रेलवे

230–विद्युत लोको परिचालन/दिल्ली/तकनीकी–24/2025 मण्डल कार्यालय
दिनांक :– 07.03.2025 नई दिल्ली

तकनीकी ड्राइव -DLI/RSO-02/2025

विषय : सतर्कता आदेश पढ़ने और गति प्रतिबंधों का पालन करने के लिए बरती जाने वाली सावधानियाँ ।

दिनांक 26.02.2025 को गाड़ी संख्या 12058 एवं गाड़ी संख्या 12447 में कार्यरत चालक दल के द्वारा गाड़ी कार्य करने के दौरान ब्लाक सेक्शन में लगे गति प्रतिबंधों का पालन नहीं किया गया जो कि रेल के सुरक्षित परिचालन के विरुद्ध है एवं रेल दुर्घटना का कारण बन सकता है । अतः सुरक्षित ट्रेन परिचालन हेतु गति प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य है। इनके अनुपालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई के बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गति प्रतिबंधों का ठीक से पालन करने के लिए, चालक दल को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए:

अ. यात्रा शुरू करने से पहलेः

1. चालक दल को सतर्कता आदेश प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सतर्कता आदेश उसकी गाड़ी के लिए ही है।
2. चालक दल को सतर्कता आदेश को गहनता से पढ़ना और समझना चाहिए एवं अपनी गाड़ी से सम्बंधित काशन को चिंहित कर लेना चाहिए ।
3. गति प्रतिबंधों का ट्रेन की आवाजाही की दिशा में भौगोलिक क्रम में उल्लेख किया जाता है। गलती से इस क्रम का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए इस पहलू की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

ब. यात्रा के दौरानः

1. ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करते समय, सहायक लोको पायलट को उस ब्लॉक सेक्शन में लागू गति प्रतिबंधों के बारे में ब्लॉक सेक्शन के नाम, किमी संख्या और निर्धारित गति को उच्च स्वर में दोहराना चाहिए। यदि ब्लॉक सेक्शन में कोई गति प्रतिबंध नहीं है, तो भी इसे नियमित अभ्यास बनाने के लिए सहायक लोको पायलट दोहराएगा कि ब्लॉक सेक्शन में कोई गति प्रतिबंध नहीं है तथा लोको पायलट भी उच्च स्वर में उसे दोहराएगा ।
2. ब्लाक सेक्शन में गति प्रतिबन्धो के लिए लगे काशन इंडिकेटर बोर्ड पर पहुचते समय सहायक लोको पायलट बार बार गति प्रतिबन्ध को प्रतिबंधित स्पीड व KM न0 सहित बार बार पुकारेगा तथा लोको पायलट भी इसका जवाब प्रतिबंधित स्पीड व KM न0 सहित उच्च स्वर में देगा । लोको पायलट गति प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी की गति को नियंत्रित करेगा ।
3. लघु अवधि के गति प्रतिबंध के लिए सतर्कता संकेतक बोर्ड, स्पीड बोर्ड और "टी" बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सहायक लोको पायलट आने वाले गति प्रतिबंध के विषय में LP को दो किलोमीटर की दूरी व एक किलो मीटर की दूरी पर सतर्क करेगा।
4. यदि लोको पायलट के द्वारा ब्लाक काशन में लगे गति प्रतिबन्ध के अनुसार अपनी गाड़ी की गति को नियंत्रित करने के लिए कोई सकारात्मक कार्यवाही न की जाए, तो ऐसी स्थिती में सहायक लोको पायलट आपातकालीन ब्रेक लगायेगा।

स. यात्रा के बादः

यदि परिचालन के दौरान गति प्रतिबंधों से सम्बंधित कोई अनियमितता मिलती है, तो चालक दल "साइन ऑफ" के समय अनियमितता को CMS में दर्ज करेगा।

अतः सभी मुख्य लोको निरीक्षको को यह निर्देश दिए जाते है कि अपने मनोनीत/गैर-मनोनीत रनिंग स्टाफ को उक्त विषय पर काउन्सिल करें व अपनी रिपोर्ट को मंडल कार्यालय में दिनांक 06.04.25 को प्रस्तुत करें ।

आ. अमीत

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता/परिचालन
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :–

1. मण्डल रेल प्रबंधक/मण्डल कार्यालय/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे–सूचनार्थ।
2. मुख्य विद्युत लोको अभियंता/उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली – सूचनार्थ।
3. मुख्य विद्युत अभियंता/परि ./उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली – सूचनार्थ।
4. अपर मण्डल रेल प्रबंधक/परिचालन/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे–सूचनार्थ।
5. मण्डल विद्युत अभियंता/परि./नई दिल्ली – सूचनार्थ।
6. सहायक मण्डल विद्युत अभियंता/परि./नई दिल्ली – सूचनार्थ।
7. मुख्य कर्षण लोको नियंत्रक/मण्डल कार्यालय/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे– सूचनार्थ।
8. समस्त मुख्य लोको निरीक्षक–गाजियाबाद, दिल्ली, नई दिल्ली, आनन्द विहार, पानीपत, जींद, जाखल, रोहतक, निजामुद्दीन, पलवल, मेरठ, शकूरबस्ती एवं तुगलकाबाद–आवश्यक कार्यवाही हेतू।
9. समस्त लोको लॉबी नोटिस बोर्ड– सूचनार्थ।
10. बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र/तुगलकाबाद–आवश्यक कार्यवाही हेतू।
11. विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/चिपियाना/गाजियाबाद/उत्तर रेलवे–आवश्यक कार्यवाही हेतू।